न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी सं.– 06/2025
जीसीएमएस सख्या – (2025/38)

निगरानीकर्तागण/प्रार्थीगणः–

1. रमेश पुत्र सुखाराम
2. तेजाराम पुत्र सुखाराम

जातियान जाट निवासी गांव खेजडली कला, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगण/गैर निगरानीकारः–

1. बुधाराम पुत्र लीछमणराम जाति जाट निवासी खेजडली कला, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
2. ग्राम पंचायत खेजडली कला जरिये ग्राम विकास अधिकारी।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्व पट्टा सं. 13 दिनांक 15.04.2009, मिसल सं. 49/2008 जो कि ग्राम पंचायत खेजडली कला द्वारा अप्रार्थी के नाम जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. अधिवक्ता श्री हनुमान प्रजापति, श्री गजेन्द्र सिंह राठौड (प्रार्थी पक्ष की ओर से)।
2. अधिवक्ता श्री करण सिंह व श्री प्रहलाद सिंह (अप्रार्थी सं. 01 की ओर से)

अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रथम) जोधपुर

निर्णय दिनांक : 26.05.2025

1. यह निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के अंतर्गत ग्राम पंचायत खेजडली कला, पंचायत समिति, लुणी द्वारा मिसल सं. 49/2008 में जारी पट्टा सं. 13 दिनांक 15.04.2009 को निरस्त करने हेतु इस न्यायालय में दिनांक 10.11.2020 को पेश की गई।
2. निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। ग्राम पंचायत खेजडली कला से पट्टे से संबंधित पत्रावली, [illegible] रजिस्टर व पट्टा बुक मंगवाई गई। ग्राम पंचायत खेजडली कला ने पत्र [illegible]6 दिनांक 05.12.2022 से सूचित किया है कि पट्टा सं. 13 दिनांक 15.04.2009 की मूल मिसल ग्राम पंचायत में खोजबीन करने पर उपलब्ध नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:55:46 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

3. अप्रार्थी बुधाराम की ओर से श्री करण सिंह व प्रहलाद सिंह एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया परंतु लिखित जवाब पेश नहीं किया है।

4. निगरानी मीमों में अंकित अभिकथनों अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त में सारवान तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी पीढियों से खेजडली कला में निवास करता है। अप्रार्थी भी प्रार्थी के पूर्वज जयरूपराम का वारिस है। जयरूपराम की कब्जासुदा जायदाद पर उनके वारिसान पुत्रान एवं कालूराम व उनके पौत्र लक्ष्मणराम, गोकलराम, सुखाराम, नैनाराम का बराबर हिस्सा था। प्रार्थी की कब्जासुदा जायदाद, अप्रार्थी के उत्तर दिशा में आई हुई है, परंतु अप्रार्थी ने अपनी कब्जासुदा व हक की जायदाद से ज्यादा भू भाग का निगरानीधीन पट्टा ग्राम पंचायत से सांठ गांठ कर नियम विरूद्ध मनमाने तौर पर गलत रूप से जारी करवा लिया, जिसकी प्रार्थी को सूचना नहीं दी तथा न ही प्रार्थी को जानकारी हुई। अभी हाल ही अप्रार्थी ने पट्टे की आड में प्रार्थी की कब्जासुदा भूमि पर कब्जा करने व हडपने की नियत से धमकी दी, तब प्रार्थी को पट्टे की जानकारी हुई। पट्टा नियमों की पालना किये बिना जारी किया गया है। प्रार्थी के हक व कब्जे की भूमि का पट्टा जारी किया है। प्रार्थी इस पट्टे की भूमि में हितबद्ध व्यक्ति है, जिसके जारी होने से प्रार्थी के अधिकार समाप्त हो रहे है, पट्टा आपसी बातचीत के साथ–साथ नियम 157 के तहत जारी किया है, जो विरोधाभासी है। पंचायत ने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर क्षेत्रफल से अधिक एवं सीमा से बाहर पट्टा जारी किया है। पट्टा जारी करते समय प्रकिया की पालना नहीं की है, जो अवैधानिक है तथा निरस्त योग्य है। पट्टा फर्जी व मनगढंत है। सार्वजनिक सूचना जारी नहीं की है।

प्रार्थी ने अलग से प्रार्थना पत्र पेश कर पट्टे की प्रमाणित प्रति पेश करने से छूट चाही है, क्योंकि ग्राम पंचायत पट्टे की प्रति प्रार्थी को उपलब्ध नहीं करवा रही है।

5. उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

6. निगरानीकार रमेश के विद्वान अधिवक्ता श्री हनुमान प्रजापति ने निगरानी मीमों में अंकित अभिकथनों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत ने नियमों में दी गई व्यवस्था का उल्लंघन करते हुए अवैध पट्टा जारी किया है, ग्राम पंचायत में इस पट्टे को जारी करने बाबत किसी प्रकार की पत्रावली/रिकॉर्ड उपलब्ध ही नहीं है जबकि राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 141 से 167 तक में भूमि विकय करने की आज्ञात्मक प्रकिया की [illegible] जिसकी पालना नहीं की। अतः अवैध रूप से जारी पट्टा निरस्त किया [illegible] निगरानी स्वीकार की जावे। यह न्यायालय धारा 97 के तहत पट्टा निरस्त करने हेतु सक्षम है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:55:46 IST
Reason: SelfAttested

[signature]
र जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

7. उक्त बहस के विपरीत अप्रार्थी सं. 1 श्री बुधाराम के विद्वान अधिवक्ता श्री करण सिंह ने बहस कते हुए कथन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 01 नजदीकी भाई है तथा दोनों के मकान पास–पास में आए हुए है। पारिवारिक झगडे के कारण निगरानी पेश की है, पट्टा दिनांक 15.04.2009 को जारी किया गया है परंतु यह निगरानी 11 वर्ष बाद 10.11.2020 को पेश की है। देरी को कन्डोन करने हेतु म्याद कानून की धारा 5 के तहत कोई प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं किया है तथा न ही निगरानी में देरी से पेश करने का कोई समुचित कारण लिखा है। प्रार्थी का अप्रार्थी सं. 1 से कोई लेना देना नहीं है। मौके पर अप्रार्थी सं. 1 का ही कब्जा है। अतः निगरानी सारहीन होने तथा म्याद बाहर पेश होने के आधार पर खारिज की जावे।

8. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का भली भांति अध्ययन किया। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत तर्कों पर गंभीरता से मनन किया। आबादी भूमि के पट्टे जारी करने से संबंधित राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में किये गये विधिक प्रावधानों का अध्ययन कर, जानकारी प्राप्त की। हमारा विनिश्चय इस प्रकार हैः–

I. ग्रामीण क्षेत्रों में गांवों की आबादी भूमि का निष्पादन करने हेतु राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 141 से 167 तक में व्यवस्था के प्रावधान किये हुए है। सामान्यतः ग्राम पचांयते आबादी भूमि का विक्रय आम सार्वजनिक निलामी से व्यापक प्रचार–प्रसार के पश्चात् कडी प्रतियोगिता के आधार पर बाजार कीमत पर करती है। नियम 156, 157 व 158 उक्त व्यवस्था के अपवाद है। नियम 156 में आपसी बातचीत से, कुछ शर्तों के अध्यधीन, डी.एल.सी. दरों से भूमि विक्रय करने का प्रावधान है तथा नियम 157 में पुराने आवासीय गृह निर्मित होने पर नियमितिकरण से नियमन किये जाने का प्रवधान है, जो समय समय पर राज्य सरकार द्वारा संशोधित हो रहा है। नियम 158 के तहत कुछ विशेष वर्गों को निःशुल्क, 150 वर्ग गज तक का पट्टा आवंटन करने का प्रावधान है।

नियम 156 व 157 के तहत आवंटन हेतु प्रार्थी को ग्राम पंचायत को आवेदन शुल्क के साथ आवेदन पत्र पेश करना पडता है तथा ग्राम पंचायत संकल्प पारित कर, तीन पंचों की एक कमेटी नियुक्त करती है, जो आवंटित की जाने वाली भूमि का मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार करती है तथा आवंटन बाबत अपनी निरीक्षण रिपोर्ट व राय ग्राम पंचायत को पेश करती है। ग्राम पंचायत कमेटी रिपोर्ट पर विचार कर संकल्प पारित करती है तथा पट्टा जारी करने से पूर्व सार्वजनिक नोटिस जारी कर आम जनता से आपत्तियां

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:55:46 IST
Reason: SelfAttested

र जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

आमंत्रित करती हे, जिसमें कम से कम एक माह का समय देना आज्ञात्मक है। आपत्तियां प्राप्त करके ग्राम पंचायत, उनका निस्तारण करती है तथा पट्टा जारी करने का संकल्प पारित करती है तथा प्रकरण उपयुक्त पाया जाने पर निर्धारित राशि जमा करके आवंटन/पट्टा विहित प्रारूप में जारी करती है। यह पट्टा प्रारूप पंचायत समिति द्वारा पट्टा बुक के रूप में ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराया जाता है तथा ग्राम पंचायत इसका रजिस्टर संधारित करती है।

II. उक्त समस्त कार्यवाही को एक मिसल (पत्रावली) में संग्रहित किया जाता है तथा नियमित रूप से आदेशिका में घटनाक्रम अभिलिखित किया जाता है, जिस पर सरपंच व सचिव ग्राम पंचायत के हस्ताक्षर होते है। इस प्रकार, एक पट्टा जारी करने में कम से कम तीन संकल्प ग्राम पंचायत द्वारा पारित करना आवश्यक है, जिसका लिखित अंकन ग्राम पंचायत के बैठक रजिस्टर में किया जाना आवश्यक है तथा वह सरपंच व सचिव के हस्ताक्षरों से प्रमाणित होना चाहिए।

उक्त प्रकियात्मक व विधिक व्यवस्था के अतिक्रमण में जारी किया गया, भूमि विक्रय का विलेख गैर कानूनी है तथा उसे कानूनी रूप को कोई मान्यता नहीं दी जा सकती। उक्त व्यवस्था का पूर्ण रूप से पालन किया जाना आवश्यक है अन्यथा कोई भी सरपंच अपनी मर्जी से सार्वजनिक संपति का निष्पादन गैर कानूनी तरीके से कर सकता है तथा सार्वजनिक व्यवस्था तहस–नहस हो जायेगी।

III. अब हम उक्त विधिक/प्रकियात्मक व्यवस्था के संदर्भ में, हस्तगत प्रकरण के तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण करना उचित समझते है–

ग्राम पंचायत खेजडली कला ने इस न्यायालय के पत्रांक 489 दिनांक 07.12.2021 के प्रत्युत्तर में पत्रांक 36 दिनांक 05.12.2022 से इस न्यायालय को सूचित किया है कि मूल पट्टा संख्या 13 दिनांक 15.04.2009 जो बुधाराम पुत्र लिछमण जाट को जारी किया गया, की असल मिसल, जो चाही गई है, वो पंचायत रिकॉर्ड में खोजबीन करने पर उपलब्ध नहीं है। सूचना पेश है। ह. ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत खेजडली कला

इस प्रकार स्पष्ट है कि निगरानीधीन पट्टा से संबंधित मिसल व पट्टा ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में नहीं है तथा अप्रार्थी सं. 01 ने भी कोई कागजात/प्रमाणित प्रतियां पेश नहीं की है [illegible] पट्टा सं. 13 की फोटोकॉपी पेश की है, जिस [illegible] सं. 13 बुधाराम पुत्र लिछमण का नाम, अंकित है [illegible] दिनांक 10.02.2009 को वसूलने का अंकन है, पंचायत का संकल्प सं. [illegible] दिनांक 05.12.2008 अंकित

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:58:46 IST
Reason: SelfAttested.

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

है। पट्टे का शीर्षक 1996 के नियम 157 (ख) के अंतर्गत है। यह पट्टा 7092.5 वर्गफुट का जारी किया है। इस पर सरपंच मांगीलाल के हस्ताक्षर है, जो दिनांक 15.04.2009 को जारी किया गया है।

इस प्रकार उक्त पट्टे के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह पट्टा जिस प्रारूप में जारी किया गया है, वह नियम 167 (1) के तहत निर्धारित प्रारूप 23 में नहीं है तथा पंचायत समिति से जारी पट्टा बुक में से जारी नहीं किया गया है, परंतु अन्य प्राइवेट स्त्रोतों से उपलब्ध प्रारूप में सरपंच ने अपने स्तर से जारी किया है, जिसको जारी करने हेतु नियमों में दी गई आज्ञात्मक प्रकिया का पालन नहीं किया गया है तथा इस पट्टे की ग्राम पंचायत में कोई मिसल ही उपलब्ध नहीं है। पट्टा जारी करने या जारी नहीं करने का निर्णय ग्राम पंचायत संकल्प पारित करके लेती है। अकेले सरपंच को पट्टा जारी करने का कोई कानूनी अधिकार ही नहीं है। आवेदन शुल्क, नक्शा शुल्क नहीं वसूला गया है । तीन सदस्यों ने निष्पक्ष रूप से आक्षेपित भूमि का मौका निरीक्षण नहीं किया तथा सावर्जनिक आपत्तियां आमंत्रित नहीं की गई है जिसमें हितबद्ध व्यक्तियों को अपना क्लेम पेश करने या सार्वजनिक आक्षेप पेश करने का अवसर ही उपलब्ध नहीं हो सकता। सारी कार्यवाही एकतरफा पर्दे के पीछे की गई प्रतीत होती है तथा ऐसी दूषित कार्यवाही के आधार पर बिना क्षेत्राधिकारिता के जारी किया गया निगरानीधीन पट्टा यथावत नहीं रखा जा सकता। इस संबंध में माननीय न्यायालयों ने समय-समय पर विनिश्चय प्रतिपादित कर मार्गदर्शन प्रदान किया है, जिसमें निम्नलिखित निर्णय उल्लेखनीय है-

1. SBCWP No. 8612/2008 (D/d-23-10-2008)
2. SBCWP No. 9126/2016 (D/d-12-08-2016)
3. SBCWP No. 8148/2012 (D/d-25-11-2016) शांतिदेवी बनाम स्टेट
4. SBCWP No.8211/2012 (D/d-03-02-2022) लोकेश बनाम पं.स. भदेसर

उक्त विनिश्चयों में अवधारित किया गया है कि रिकॉर्ड के अभाव में पट्टो की वैद्यता का परीक्षण नहीं किया जा सकता तथा न्यायालय ऐसे पट्टों को निरस्त कर सकता है। उक्तानुसार तथ्यात्मक व विधिक विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि निगरानीधीन पट्टा जारी करने में विधिक प्रकिया का पालन नहीं किया गया है तथा जारी किया [illegible] अवैध है तथा उसे यथावत रखना किसी भी दृष्टि [illegible]

Signature Not Verified
Digitally Signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:55:46 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

IV. उक्त तथ्यात्मक व विधिक स्थिति अनुसार अपीलाधीन पट्टा निरस्त करने योग्य है तथा यह न्यायालय धारा 97 के तहत ऐसे गैर कानूनी पट्टों को जरिये निगरानी या स्वप्रेरणा से ध्यान में लाए जाने पर अपास्त कर सकता है।

अप्रार्थी सं. 01 की ओर से ऐसा कोई अभिलेखीय सबूत पेश नहीं किया है जिससे यह प्रमाणित हो कि निगरानीधीन पट्टा दिनांक 15.04.2009 की जानकारी प्रार्थी को दिनांक 10.11.2020 से बहुत पूर्व में ही थी। ग्राम पंचायत में पट्टे का रिकॉर्ड ही उपलब्ध नहीं है। अतः मात्र देरी से निगरानी पेश करने के आधार पर ही गैर कानूनी बिना अस्तित्व के पट्टे को यथावत रखना न्यायोचित नहीं है। अतः अप्रार्थी सं. 01 के आक्षेप से हम असहमत है। धारा 97 के अंतर्गत निगरानी पेश करने की कोई म्याद नहीं है। आपसी मिलावट व गलत तरीके से जारी अवैध पट्टे कभी भी निरस्त किये जा सकते है। ऐसा ही मत 2000 AIR (Raj.)-206 (चिमनलाल बनाम राज. राज्य), 2000 AIHC 2574 (कमलेश), 2009(4) CDR 1962 (DB) (भींयाराम), 1999 DNJ 672 (नारायणलाल), (2018)3 RLW 2325 (घेवरचंद) में व्यक्त किया गया है तथा निगरानी का निर्णय मेरिट पर किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी को पट्टे की प्रति पेश करने से छूट दी जाती है।

9. उपरोक्त विवेचनानुसार निगरानी स्वीकार योग्य है फलस्वरूप यह निगरानी स्वीकार की जाती है।

आदेश

ग्राम पंचायत खेजडली कला, पंचायत समिति, लूणी द्वारा मिसल सं. 49/2008, पट्टा सं. 13 दिनांक 15.04.2009, बहक बुधाराम पुत्र लिछमणराम जाति जाट निवासी खेजडली कला को एतद् द्वारा खारिज किया जाता है। इसी प्रकार संकल्प सं. 1 दिनांक 05.12.2008 को भी अपास्त किया जाता है।

10. निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत खेजडली कला को भेजी जावे।

11. लंबित अन्य प्रार्थना पत्र (यदि कोई हो तो) निस्तारित किये जाते है।

12. पत्रावली बाद तामिल व तक्मील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नंबर से कम हो।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

यह निर्णय आज दिनांक 26.05.2025 को मेरे द्वारा ... गया ... खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahar Chaudhary
Date: 2025.06.17 11:55:46 IST
Reason: SelfAttested

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर